मुसम्मात बीबी आइशा और कुछ अन्य

बनाम

बिहार सुबाई सुन्नी मजलिसे औकाफ और कुछ अन्य

(24 जुलाई, 1968)

(न्यायमूर्ति आर० एस० बछावत और के० एस० हेगडे)

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), धारा 65 (क) और (च)—क्या खण्ड (च) खण्ड (क) को नियंत्रित करता है ?—मामला दोनों खण्डों के अन्तर्गत आता है—क्या प्रमाणित प्रतिलिपि को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किया जाना चाहिए ?

प्रथम प्रत्यर्थी—वक्फ ने अपीलार्थियों और तीसरे प्रत्यर्थी के विरुद्ध एक वाद फाइल किया जिसमें यह कहा गया था कि तीसरे प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित किया है उसे इस आधार पर अपास्त किया जाए कि जो सम्पत्तियां उस पट्टा विलेख के अन्तर्गत आती हैं वे सन् 1827 के वक्फ विलेख द्वारा समर्पित वक्फ सम्पत्तियां हैं। वक्फ विलेख के विद्यमान होने की बात तीसरे प्रत्यर्थी और ऐसे अन्य व्यक्तियों की अनेक स्वीकारोक्तियों से साबित हो जाती है जो उसके मुतवल्ली थे। तीसरे प्रत्यर्थी ने बिहार वक्फ अधिनियम, 1948 के अधीन बनाए गए नियम 6 और नियम 11 के अधीन वक्फ बोर्ड के समक्ष फाइल की गई विवरणी के साथ मूल विलेख पेश किया और यह कहा कि विवादग्रस्त सम्पत्तियां वक्फ सम्पत्तियां हैं। उसने फारसी भाषा में एक सादी प्रतिलिपि और मूल वक्फ विलेख का अंग्रेजी अनुवाद पेश किया। उसने अंग्रेजी अनुवाद को अनुप्रमाणित कर दिया और फारसी भाषा वाली प्रति पर एक पृष्ठांकन किया कि वह मूल के अनुरूप है। मिलान करने के पश्चात् मूल विलेख उसे वापस कर दिया गया और अनुवाद की एक प्रतिलिपि वक्फ बोर्ड के कार्यालय में रख ली गई। विचारण के समय तीसरे प्रत्यर्थी ने मूल विलेख पेश नहीं किया हालांकि उसे पेश करने के लिए उसके नाम एक सूचना निकाली गई थी। रजिस्ट्री कार्यालय में उस विलेख की कोई प्रतिलिपि नहीं मिली थी। इसलिए प्रथम प्रत्यर्थी ने वक्फ बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त प्रतिलिपि और अनुवाद का सहारा लिया। विचारण न्यायालय ने वाद की डिक्री कर दी और उच्च न्यायालय ने उस डिक्री को पुष्ट कर दिया।

इस न्यायालय में इस प्रश्न पर अपील की गई कि क्या साक्ष्य में प्रतिलिपि यह दर्शित करने के लिए ग्राह्य है कि विवादग्रस्त सम्पत्तियां वक्फ सम्पत्तियां हैं ?

अभिनिर्धारित—यह मामला साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (क) के अन्तर्गत

आता है अतः प्रतिलिपि ग्राह्य है क्योंकि मूल दस्तावेज़ के विद्यमान होने और उसकी अन्तर्वस्तुओं के बारे में कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होता है। भले ही यह मामला धारा 65 (च) के अन्तर्गत भी आता हो तो भी विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करना आवश्यक नहीं है क्योंकि खण्ड (क) का नियंत्रण खण्ड (च) से नहीं होता है। उस प्रतिलिपि से तथा अन्य अनभिचोदनीय साक्ष्य (unimpeachable evidence) से यह सिद्ध हो गया है कि विवादग्रस्त सम्पत्तियां वक्फ सम्पत्तियां हैं।

'एवा' और 'ब्रेनहिल्डा' के बीच टक्कर लगने वाले मामले का, (1879) आई० एल० आर० 5 कलकत्ता 568; अनुमोदन किया गया।

सिविल अपीली अधिकारिता : 1965 की सं० 323 वाली सिविल अपील।

1955 की सं० 500 वाली आरम्भिक डिक्री के विरुद्ध की गई अपील में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 16 फरवरी, 1961 वाले निर्णय और डिक्री के विरुद्ध विशेष इजाज़त लेकर की गई अपील।

अपीलार्थियों की ओर से — सर्वश्री एस० सी० अग्रवाल, के० एन० के० नायर, अनिल कुमार गुप्त और एस० पी० सिंह

प्रत्यर्थी सं० 1 की ओर से — सर्वश्री सरजू प्रसाद और यू० पी० सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर० एस० बछावत ने दिया।

न्यायमूर्ति बछावत—

बिहार वक्फस ऐक्ट, 1947 के अधीन स्थापित बिहार सुबाई सुन्नी मजलिसे औकाफ नाम के एक निगमित निकाय (body corporate) ने एक वाद संस्थित किया जिसमें यह कहा गया था कि चौथे प्रतिवादी शेख गुलाम बारी ने तारीख 18 नवम्बर, 1949 वाला जो रजिस्ट्रीकृत मुकर्ररी पट्टा विलेख सं० 1 से लेकर सं० 3 वाले प्रतिवादियों के पक्ष में निष्पादित किया था उसे अपास्त किया जाए और उस दस्तावेज़ के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्तियों अर्थात् उन मकानों और दुकानों का कब्जा वापस दिलाया जाए जो पटना (बांकीपुर) शहर में पीरबहोर पुलिस थाने में मोहल्ला मुरादपुर के आठवें हलके में सं० 27 और सं० 28 वाली धृतियां (holdings) हैं और जो पहले सं० 22 और सं० 23 वाली धृतियां कहलाती थीं। वादी का यह कहना है कि वे सम्पत्तियां तारीख 20 अगस्त, 1827 वाले उस वक्फनामे के जरिए वक्फ के रूप में समर्पित की गई थीं जिसे मुसम्मात बीबी मन्नु खानम जान ने निष्पादित किया था। इस विलेख के अधीन उसके क्रमवर्ती (successive) मुतवल्ली थे शेख अज्मतुल्लाह, शेख अताउल्लाह, शेख हबिबुर रहमान, बीबी जैबुनिस्सा और शेख गुलाम बारी। विचारण न्यायालय ने वाद की डिक्री कर दी और उच्च न्यायालय ने इस डिक्री को पुष्ट कर दिया। दोनों ही न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मुसम्मात

बीबी मन्नु खानम जान ने वे सम्पत्तियां तारीख 20 अगस्त, 1827 वाले विलेख से वक्फ के रूप में समर्पित की थीं। इस अपील में इस निष्कर्ष की शुद्धता पर आक्षेप किया गया है।

पटना (बांकीपुर) शहर में मोहल्ला मुरादपुर में एक पुरानी मस्जिद है जो मुसम्मात बीबी मन्नु खानम जान की मस्जिद कहलाती है। अब इसके बारे में विवाद नहीं है कि वह मस्जिद मुसम्मात बीबी मन्नु खानम जान ने कायम की थी। मस्जिद के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग में दुकानें, कमरे, कटरे और अन्य इमारतें हैं। मस्जिद के पूर्वी भाग में सं० 27 और सं० 28 वाली वे धृतियां हैं जिन पर विवाद उठाया गया है। 25 सितम्बर, 1948 को गुलाम बारी ने बिहार वक्फ्स ऐक्ट, 1948 के नियम 6 और नियम 11 के अधीन प्ररूप सं० 1 में एक विवरणी (return) वक्फ बोर्ड के समक्ष फाइल की। अपनी विवरणी में उसने यह लिखा कि तारीख 20 अगस्त, 1827 वाले वक्फ विलेख के अधीन मुसम्मात बीबी मन्नु खानम जान ने वे सम्पत्तियां मस्जिद को वक्फ के रूप में दी थीं। इस विवरणी के साथ उसने वक्फ विलेख का अंग्रेजी अनुवाद फाइल किया था। उसने उस अनुवाद को अनुप्रमाणित (attest) किया था। वक्फ बोर्ड के नाजिर मेहदी हसन ने, जो पांचवां वादी-साक्षी है, यह साबित किया कि गुलाम बारी ने भी मूल वक्फनामा और उसके साथ उसकी फारसी भाषा में एक प्रतिलिपि फाइल की थी। उस प्रतिलिपि पर निम्नलिखित पृष्ठांकन (endorsement) किया गया था—'यह प्रतिलिपि मूल प्रति के अनुरूप है' (the copy corresponds to the original) और उस पर गुलाम बारी के हस्ताक्षर थे। मूल वक्फनामा गुलाम बारी को लौटा दिया गया था और उसकी प्रतिलिपि वक्फ बोर्ड के कार्यालय में रख ली गई थी। विचारण के समय गुलाम बारी ने मूल विलेख पेश नहीं किया था। तदनुसार विलेख की प्रतिलिपि और उसका अनुवाद प्रदर्शित किए गए थे।

विचारण न्यायालय ने और उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मिश्र ने मेहदी हसन के परिसाक्ष्य (testimony) को सही मान लिया और यह अभिनिर्धारित किया कि मूल वक्फनामे की प्रतिलिपि साक्ष्य में ग्राह्य थी। हम इस निष्कर्ष से सहमत हैं। न्यायमूर्ति तारकेश्वरनाथ ने यह आदेश दिया कि प्रतिलिपि मुख्यतः इस आधार पर ग्राह्य नहीं थी कि वादपत्र (plaint) के पैरा 7 में यह कहा गया है कि वक्फ विलेख वादी की अभिरक्षा (custody) में है। हम न्यायमूर्ति मिश्र की इस बात से सहमत हैं कि वादपत्र में जो प्रकथन (averment) किया गया है उसे उस शुद्ध प्रतिलिपि (true copy) के प्रति निर्देश करने वाला साधारण कथन माना जाना चाहिए जो वादी के कार्यालय में रह गई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (क) के अधीन किसी दस्तावेज़ के अस्तित्व या अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य तब दिया जा सकता है जब कि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल दस्तावेज़ ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्याधीन है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज़ का साबित किया जाना ईप्सित है और जब कि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात् उसे पेश नहीं करता है। जहां

कोई मामला धारा 65 (क) के अन्तर्गत आता है वहां दस्तावेज़ की अन्तर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होता है। प्रस्तुत मामले में धारा 65 (क) में जो शर्तें दी हुई हैं वे पूरी कर दी गई थीं। इसलिए वक्फ की सादी प्रतिलिपि ग्राह्य थी। अपीलार्थी की ओर से यह दलील दी गई थी कि धारा 65 का खण्ड (च) लागू होता है और यह कि चूंकि साक्ष्य अधिनियम से तारीख 20 अगस्त, 1827 वाले विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि को साक्ष्य में पेश करने के लिए अनुज्ञा दी गई थी इसलिए साक्ष्य में केवल प्रमाणित प्रतिलिपि ही ग्राह्य थी। इस दलील में कोई सार नहीं है। यदि यह मामला खण्ड (क) के अन्तर्गत आता है तो उस दस्तावेज़ का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होता, भले ही वह मामला खण्ड (च) के अन्तर्गत भी आता हो। खण्ड (क) का नियंत्रण खण्ड (च) से नहीं होता है। 'एवा' और 'ब्रेनहिल्डा' के बीच टक्कर लगने के मामले [1] में एक प्रश्न उठा था कि क्या ऐसे प्रमाणपत्र की, जिसे व्यापार बोर्ड (board of trade) ने प्रदान किया था, अन्तर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। दस्तावेज़ के खो जाने की दशा में धारा 65 का खण्ड (ग) लागू होता है और सूचना के पश्चात् उसे पेश करने में असफल रहने की दशा में खण्ड (क) लागू होता है। धारा 65 का खण्ड (च) भी लागू होता है। न्यायमूर्ति विलसन ने यह आदेश दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जाए और कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होता है। हम इस विनिश्चय से सहमत हैं। न्यायमूर्ति विलसन ने निम्नलिखित मत प्रकट किया था—

> "धारा 65 से खण्ड (क) और खण्ड (ग) के अधीन वाले मामलों में कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है; खण्ड (ङ) और (च) के अधीन वाले मामलों में केवल प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राह्य है। प्रस्तुत मामला खण्ड (क) या खण्ड (ग) और खण्ड (च) के भी अन्तर्गत आता है। ऐसी दशा में कौन सा नियम लागू होता है? मेरा विचार है कि ये शब्द '(क), (ख) और (ग) वाले मामलों में कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है' इतने अधिक स्पष्ट और इतने जोरदार हैं कि पश्चात्वर्ती किसी बात से नियंत्रित नहीं होते और इसलिए इस मामले में कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्रहण किया जा सकता है।"

तारीख 20 अगस्त, 1827 वाले वक्फ विलेख के विद्यमान होने की बात गुलाम बारी और उसके हक पूर्वाधिकारियों (predecessors-in-title) की अनेक स्वीकारोक्तियों (admissions) से साबित हो जाती है। विलेख के विद्यमान होने की बात 13 जनवरी, 1928 को पटना के जिला न्यायाधीश के समक्ष बीबी जैबुनिस्सा ने जो पिटीशन फाइल किया था उसमें, 25 सितम्बर, 1948 को गुलाम बारी ने वादी के समक्ष जो विवरणी फाइल की थी उसमें, तारीख 15 फरवरी, 1949 वाले पिटीशन में और तारीख 21 मार्च, 1949 को बिहार सुबाई सुन्नी मजलिसे औकाफ के अध्यक्ष के समक्ष उसने जो विवरण फाइल किया था उसमें स्वीकार की गई है। अन्य दस्तावेज़ों और स्वीकारोक्तियों से भी स्पष्टतः यह पता चलता है कि विवादग्रस्त धृतियां वक्फ सम्पत्तियां हैं।

---

(1) आई० एल० आर० 5 कलकत्ता 568

वक्फ विलेख की प्रतिलिपि से यह पता चलता है कि बीबी मन्नु खानम जान यह स्वीकारोक्ति करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि विलेख का निष्पादन उसने किया है अजीमाबाद के दारुल्क्वाजय के समक्ष उपसंजात हुई। काजी ने उस विलेख पर हस्ताक्षर कर दिए और 21 रबियुल अव्वल, 1233 हिजरी को रजिस्ट्री कार्यालय की सील लगा दी (यह स्पष्ट है कि भूल से 1243 की बजाए 1233 लिख दिया गया था। यह विलेख 19 मोहरम, 1243 हिजरी अर्थात् 20 अगस्त, 1827 को निष्पादित किया गया था। रजिस्ट्री कार्यालय के अभिलेखों में अब इस विलेख की कोई प्रतिलिपि नहीं मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह दस्तावेज़ 1793 के विनियम 39 (Regulation XXXIX) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत की गई थी। उस विनियम के अधीन काजियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे उन सभी विलेखों और अन्य कागजपत्रों की प्रतिलिपियां रखेंगे जिन्हें वे तैयार करें या अनुप्रमाणित करें तथा ऐसे कागजपत्रों की एक सूची रखेंगे और वह सूची और कागजपत्र अपने उत्तराधिकारियों को देंगे। उस विनियम में समुचित रजिस्टर रखने के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया था। वह विवादग्रस्त वक्फ विलेख 1827 में रजिस्ट्रीकृत किया गया था। इतना समय गुजर जाने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय में उस विलेख की कोई प्रतिलिपि नहीं मिल रही है। किन्तु अन्य अनधिक्षेपणीय साक्ष्य (unimpeachable evidence) से यह समाधानप्रद रूप से सिद्ध हो गया है कि मुसम्मात बीबी मन्नु खानम जान ने तारीख 20 अगस्त, 1827 वाला वक्फ विलेख निष्पादित किया था और यह भी सिद्ध हो गया है कि विवादग्रस्त धृतियां वक्फ सम्पत्तियां है। इस दृष्टिकोण से इस विषय पर कोई विवाद नहीं है कि निचले न्यायालयों ने वाद में डिक्री ठीक ही दी थी।

अपील खर्चे सहित खारिज की जाती है।

अपील खारिज कर दी गई।